/.

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः-राज्य कर्मियों/सेवा निवृत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं इस पर होनेवाले व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में वित्त विभाग के पत्रांक 261 दिनांक 29 जनवरी 2004 तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक- 354(10) दिनांक 15.09.2006 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी।

2. राज्य के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित नई प्रक्रिया निरूपित किए जाने के उद्देश्य से उक्त निरूपित प्रक्रिया में कतिपय संशोधन के साथ विभागीय संकल्प सं0-753(6) दिनांक 25.10.2014 निर्गत किया गया, जिसके तहत राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिमाह दिये जा रहे 300/- रू0 चिकित्सा भत्ता को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर अधिकतम 6000/- रू0 तक की वार्षिक प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था दिये जाने का निर्णय लिया गया।

यह सुविधा वैसे सेवानिवृत राज्य कर्मियों के लिए उपलब्ध कराये जाने का भी निर्णय लिया गया, जो प्रीमियम का भुगतान स्वयं करना चाहेंगे।

3. उक्त संकल्प संख्या-753(6) दिनांक 25.10.14 के आलोक में सेवारत राज्यकर्मी एवं सेवानिवृत राज्य कर्मियों के लिए वार्षिक प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा उन्हें अबतक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त संकल्प के कार्यान्वयन के क्रम में झारखण्ड विधान सभा की प्रत्यायुक्त समिति की बैठक में दिए गए निदेश के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा राज्य के कर्मियों एवं सेवानिवृत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन के बिन्दु पर राज्य के विभिन्न सेवा संघों एवं महासंघों से प्राप्त सुझाव/मंतव्य तथा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य कर्मियों एवं अन्य को निम्नरूपेण स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) राज्य विधान सभा के वर्तमान माननीय सदस्य/राज्य की सभी सेवाओं के कर्मियों/सेवानिवृत कर्मियों तथा उनके परिवार के उनपर आश्रित सदस्यों, जिनमें उनके पति/पत्नी, पुत्र/ वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष की आयु तक बशर्त्ते बेरोजगार हो), पुत्री (अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता पुत्री)/नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन एवं आश्रित माता-पिता (प्रतिमाह 9000/ और उस पर तत्समय अनुमान्य महँगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले) सम्मिलित होंगे, को सम्मिलित रूप से 05 (पाँच) लाख रूपये प्रतिवर्ष की अधिसीमा के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।

राज्य कर्मियों/सेवानिवृत्त कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा।

उपर्युक्त क्रम में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विधिवत् चिन्हित गंभीर बीमारियों की चिकित्सा हेतु चयनित बीमा कंपनी के द्वारा स्थापित प्रक्रियानुसार अपनी निधि से 50 (पचास) करोड़ रूपए का कॉरपोरेट बफर (Corporate Buffer) संधारित किया जाएगा, जिस क्रम में ऐसी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा पर

होने वाला व्यय 05 (पाँच) लाख रूपए की अधिसीमा से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त 05(पाँच) लाख रूपए तक की अतिरिक्त अधिसीमा के अन्तर्गत स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से संबंधित बीमा कंपनी के द्वारा ऐसे अतिरिक्त व्यय का भी वहन किया जाएगा।

(ii) इसके अलावा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु यथा निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर निम्न वर्णित विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्य/पदाधिकारी/कर्मी सम्मिलित हो सकते हैं :

(क) राज्य विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्य।

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत/सेवानिवृत्त एवं राज्य की अन्य सेवाओं के सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी।

(ग) राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड/निगम/संस्थान/संस्था में कार्यरत/सेवानिवृत्त नियमित कर्मी।

(घ) राजकीय विश्वविद्यालयों एवं उनके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकगण एवं शिक्षकेत्तर कर्मी।

(iii) वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कर्मियों/सेवानिवृत कर्मियों को प्रति माह 1000 रूपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। इस योजना के लाभुक हो जाने के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा ऐसे सभी कर्मियों/सेवानिवृत कर्मियों को 500 रूपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान ओ0पी0डी0/जाँच/दवा आदि हेतु पूर्ववत् किया जाएगा।

(iv) प्रीमियम भुगतान, कॉरपस निधि एवं अन्य अनुवर्ती व्ययों हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा एक पृथक बजटीय शीर्ष का सृजन करते हुए किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार के द्वारा समुचित बजट उपलब्ध कराया जाएगा। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 100 (एक सौ) करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध करायी जायेगी तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाएगा।

(v) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत स्थापित झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के स्तर से खुली निविदा के माध्यम से राज्य कर्मी एवं पेंशनधारकों के चिकित्सा बीमा हेतु बीमा कंपनी का चयन किया जाएगा, जिसके साथ झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के द्वारा एकरारनामा करते हुए स्वास्थ्य बीमा संबंधी समस्त कार्रवाई की जाएगी।

इस क्रम में प्रकाशित की जाने वाली निविदा में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना के कार्यान्वयन हेतु यथा निर्धारित एवं सुसंगत प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

(vi) राज्य कर्मियों/सेवानिवृत कर्मियों के गंभीर रूप से बीमार/दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरनासन्न स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्चतर संस्थान में उपचार हेतु रेफर किये जाने की स्थिति में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत विशेष परिस्थिति में एयर एंबुलेंस/वायुयान यात्रा की अनुमान्यता होगी, जिसके खर्च का वहन झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के स्तर पर संधारित कॉरपस फंड से नियमानुसार किया जाएगा।

(vii) उपर्युक्त कंडिका के आलोक में झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के स्तर पर संधारित कॉरपस फंड के माध्यम से किसी बीमित कर्मी के बीमा राशि से अधिक राशि का चिकित्सा व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त चिकित्सा व्यय का नियमानुसार वहन किया जाएगा।
बीमित राशि का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी करेगी तथा बीमित राशि से अधिक राशि का भुगतान कॉरपस फंड के माध्यम से बीमा कंपनी को किया जाएगा।

(viii) राज्य के बाहर चिकित्सा के क्रम में यात्रा के लिए संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके एक सहयोगी को सिर्फ अनुमान्य यात्रा भत्ता ही देय होगा। इस यात्रा के लिए रोड माइलेज, इन्सिडेन्टल चार्ज, विश्राम भत्ता देय नहीं होगा।

(ix) झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के द्वारा संप्रति संचालित आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रक्रिया अपनाते हुए राज्य के अंदर एवं बाहर के अस्पतालों का सूचीकरण, झारखण्ड सरकारी कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड निर्गत करने, अस्पतालों को ससमय भुगतान करने, सुगम चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने, आदि समस्त कार्य इस योजना के सफल संचालन हेतु संपन्न किए जाऐंगे।

4. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 25.07.2023 के मद सं0–10 के तहत् स्वीकृति प्राप्त है।

5. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत सभी आदेश/संकल्प/परिपत्र इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 13/आर–01–36/2012(खण्ड) 185 (13) राँची, दिनांक: 31/7/2023

प्रतिलिपि : विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजट/उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी विभागीय वेबसाईट, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 13/आर–01–36/2012(खण्ड) 185 (13) राँची, दिनांक: 31/7/2023

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 13/आर-01-36/2012(खण्ड) 185 (13) राँची, दिनांक: 31/7/2023

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 13/आर-01-36/2012(खण्ड) 185 (13) राँची, दिनांक: 31/7/2023

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, एन0एच0एम0/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/कार्यकारी निदेशक, जसास/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ निदेशक, रिम्स/निदेशक, रिनपास/ प्राचार्य/अधीक्षक, एम0जी0एम0 चि0 महा0 एवं अस्पताल जमशेदपुर/प्राचार्य/ अधीक्षक,शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद/ प्राचार्य/ अधीक्षक, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग/ प्राचार्य/अधीक्षक, फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका/प्राचार्य/ अधीक्षक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार पदाधिकारी/चिकित्सा संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव